रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2008/आषाढ़ 11, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 97
No. 106] DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2008/ASADHA 11, 1930 [N.C.T.D. No. 97

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग (III)

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जुलाई, 2008

सं. एफ-3(2)/2000/सें.-3/पार्ट. फा./2331.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13-7-1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम(i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस आशय के लिए अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सर्व शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) ये नियम "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2008" कहे जायेंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से यह नियम प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) इस नियमावली के उद्देश्य के लिये वरिष्ठ निजी सहायक एवं आशुलिपिक ग्रेड-II के संदर्भ में "नियुक्ति प्राधिकारी" मुख्य सचिव तथा आशुलिपिक ग्रेड-III के संदर्भ में संबंधित विभागाध्यक्ष होंगे;

(ख) "बोर्ड" का अर्थ है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड;

(ग) "संवर्ग" का अर्थ है अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट ग्रेडों के पदों के समूह;

(घ) "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी" का अर्थ है सरकार की सेवाएं विभाग;

(ङ.) सेवा के किसी ग्रेड के संदर्भ में "संवर्ग अधिकारी" का अर्थ है इस नियमावली के नियम 6 तथा नियम 7 के अंतर्गत नियुक्त उस ग्रेड की सेवा का सदस्य;

(च) "मुख्य सचिव" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव;

(छ) "आयोग" का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग;

(ज) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ है अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट किसी ग्रेड के पदों पर पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार हेतु गठित समिति;

(झ) "सीधी भर्ती" का अर्थ है बोर्ड द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की गयी भर्ती;

(ञ) "ड्यूटी पद" का अर्थ है अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कोई पद तथा उपराज्यपाल द्वारा समय-समय पर ड्यूटी पद के रूप में घोषित अस्थायी या स्थायी पद;

(ट) "सरकार" का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त तथा संविधान के अनुच्छेद 239 क.क. के अधीन पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल;

(ठ) "ग्रेड" का अर्थ है इस नियमावली के नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड;

(ड) "उपराज्यपाल" का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल;

(ढ) "अनुसूची" का अर्थ है इस नियमावली की परिशिष्ट अनुसूची;

(ण) "अनुसूचित जाति" एवं "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ होगा जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) तथा खण्ड (25) के अंतर्गत क्रमशः प्रदान किया गया;

(त) "सेवा" का अर्थ है इस नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा;

3. सेवा का गठन एवं इसका वर्गीकरण.—(1) इस नियमावली के लागू होने की तिथि पर तथा उसी तिथि से एक "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा" नामक सेवा का गठन होगा जिसमें इस नियमावली के नियम 6 तथा 7 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

(2) सेवा में अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट तीन ग्रेड होंगे।

(3) वरिष्ठ निजी सहायक का पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख', अलिपिकीय (राजपत्रित) पद, आशुलिपिक ग्रेड-II का पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' अलिपिकीय (अराजपत्रित) पद, आशुलिपिक ग्रेड-III का पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग', अलिपिकीय (अराजपत्रित) पद होगा।

4. ग्रेड, अधिकृत संख्या तथा उनकी समीक्षा.—(1) ड्यूटी पदों में तीन ग्रेड होंगे तथा उनकी संख्या तथा लागू होने की तिथि पर उनके वेतनमान इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-I के अनुसार होंगे।

(2) उप-नियम (1) में कुछ भी होते हुए उपराज्यपाल समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों के ड्यूटी पदों में अस्थायी बढ़ोतरी या परिवर्तन कर सकते हैं।

5. सेवा के सदस्य.—(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) नियम 6 के अंतर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा

(ख) नियम 7 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति पद के पश्चात् अनुसूची-I में उस पर लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जायेगा।

(3) उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति के पश्चात् अनुसूची-I में उस पर लागू समुचित ग्रेड में नियुक्ति तिथि से सेवा का सदस्य माना जायेगा।

(4) सामान्य रूप से सेवा के सदस्य अपने से संबंधित सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्ति के पात्र होंगे अन्य सेवा में नहीं।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन.—1. नियमित आधार पर ड्यूटी पद धारक तथा सेवा के गठन से पहले भर्ती पद्धति के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त सभी विद्यमान अधिकारी संबंधित ग्रेडों में सेवा के सदस्य माने जायेंगे।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित इस नियमावली के लागू होने से पहले के अधिकारियों की नियमित निरन्तर सेवा को सेवा में परिवीक्षा, पदोन्नति के लिये अर्हक सेवा, स्थायीकरण तथा पेंशन के उद्देश्य के लिये परिकलित किया जायेगा।

(3) जहां तक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में अधिकृत नियमित संख्या में पदों को भरने में असमर्थ रहते हैं उन्हें नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार भरा जायेगा।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण.—(1) अनुसूची-I में उल्लिखित ग्रेडों में रिक्त पदों को नियम 6 के अंतर्गत प्रारंभिक गठन के पश्चात् इस नियमावली में यथा उपबंधित रूप से भरा जायेगा।

(2) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट भर्ती पद्धति निम्न रूप से होगी—

(क) वरिष्ठ निजी सहायक ग्रेड में सभी रिक्त पदों को ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड-II पद धारक पात्र अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश की शर्त पर वरियता क्रम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिसके न होने पर निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा :—

केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों में समरूप पदधारी तथा निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अधिकारी :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष;

(ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 श.प्र.मि. तथा अंग्रेजी/हिन्दी में टाइपिंग में 40 श.प्र.मि. की गति।

(ख) आशुलिपिक ग्रेड-II में सभी रिक्त पदों को ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड-III पद धारक पात्र अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश की शर्त पर वरिष्ठता क्रम से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिसके न होने पर निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा ।

केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों में समरूप पदधारी तथा निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अधिकारी :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष;

(ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 श.प्र.मि. तथा अंग्रेजी/हिन्दी में टाइपिंग में 40 श.प्र.मि. की गति ।

(ग) आशुलिपिक ग्रेड-III के सभी पद बोर्ड द्वारा आयोजित सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रूप में भरे जायेंगे ।

(घ) सेवा में किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी पर यदि उच्च पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से विचार किया जाता है तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित योग्यतायें/अर्हक/पात्र सेवा इस अपेक्षित अर्हक/पात्र सेवा से आधी से अधिक या दो वर्ष जो भी कम है, से कम न हो तथा उसने अपने इस अर्हक/पात्र सेवा को पहले से पूरा करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिये परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ।

टीप.-- पदोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद में अर्हक सेवा के पूरा होने की तिथि के अनुसार तैयार की जायेगी ।

8. वरीयता.—(1) नियम 6 के अंतर्गत इस सेवा के प्रारंभिक गठन के समय सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्य की सापेक्षित यता इस नियमावली के लागू होने की तिथि पर प्राप्त रूप में होगी :

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरीयता उक्त तिथि को विशेषतः निश्चित नहीं है तो इसका निर्धारण इस नियमावली के लागू होने पूर्व सेवा के सदस्यों पर लागू वरीयता निर्धारण नियामक नियमावली के आधार पर तय की जायेगी ।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरीयता समय-समय पर इस विषय में भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य निदेशों अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

नियम 6 तथा 7 के अंतर्गत विभिन्न ग्रेडों में स्थाई या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त व्यक्ति की वरीयता के निर्धारण के लिए नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) सेवा के विभिन्न ग्रेडों में अधिकारियों की वरीयता का निर्धारण समय-समय पर भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी नियमावली, विनियमों तथा आदेशों के आधार पर होगा ।

(ख) सभी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सापेक्षिक वरीयता बोर्ड की सिफारिश पर इस नियुक्ति के लिए चयन में उनकी मेधा क्रम के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

(ग) (i) पदोन्नति के मामले में जहाँ पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती है, ऐसे व्यक्तियों की वरीयता उनकी इस पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश किए गए क्रम के अनुसार होगी ।

(ii) अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति की शर्त पर, जहाँ पदोन्नति वरीयता के आधार पर की जाती है, पदोन्नति के लिए एक समय में उपयुक्त माने गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी जो सापेक्षिक वरीयता उनके निचले ग्रेड में थी जिससे वे पदोन्नत हुए हैं ।

(घ) अनुकम्पा के आधार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार निश्चित की जायेगी । सीधी भर्ती या पदोन्नति वालों के साथ उनका अन्तर्वेशन इनकी परस्पर वरीयता को व्यवधान डाले बिना उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार किया जायेगा ।

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ही उसकी नियमित नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी ।

(च) वरिष्ठ निजी सहायक तथा आशुलिपिक ग्रेड-II सेवा के सदस्यों की वरीयता पद पर उनकी नियमित नियुक्ति (इन सेवा नियमों के गठन से पूर्व भर्ती पद्धति के अनुसार नियमित नियुक्ति) की तिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

न्ध है कि लागू नियमों, विनियमों तथा आदेशों के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में निर्धारित या निर्धारित की जाने वाली विद्यमान वरीयता में धान नहीं डाला जायेगा ।

9. परिवीक्षा.—(1) सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-III में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर ।

उपबंध है कि नियुक्त अधिकारी परिवीक्षा अवधि को भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बढ़ा सकता है ।

(2) परिवीक्षा या उसकी विस्तारित अवधि के पूरा होने पर सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को यदि सेवा में स्थायी करने के लिए उपयुक्त गया तो भारत सरकार द्वारा तत्समय लागू आदेशों के अनुसार स्थायी किया जायेगा ।

(3) यदि, परिवीक्षा अवधि या उसकी विस्तारित अवधि जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत नियुक्ति अधिकारी का विचार है कि कोई कर्मचारी सेवा में स्थाई नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है तो नियुक्ति अधिकारी उसे बर्खास्त कर सकता है या इस विषय में नियमों के अनुसार संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्यावर्तन कर सकता है।

(4) परिवीक्षा या इसकी विस्तारित अवधि के दौरान उपराज्यपाल या मुख्य सचिव (जैसी स्थिति हो) परिवीक्षा के संतोषजनक पूर्ण करने की शर्त के रूप में नियुक्ति अधिकारी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से यथापेक्षित किसी परीक्षा तथा परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिये किसी पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण लेने के लिये कह सकते हैं।

(5) जहाँ तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्य इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रित किये जायेंगे।

10. सेवा में नियुक्ति.—सेवा में सभी नियुक्तियां वरिष्ठ निजी सहायक या आशुलिपिक ग्रेड-II या आशुलिपिक ग्रेड-III सेवा में ही की जायेंगी, सेवा में शामिल किसी विशिष्ट पद पर नहीं।

टीप.—सामान्य रूप से सेवा का सदस्य अपने से संबंधित सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्ति का पात्र होगा, अन्य सेवा में नहीं।

11. तैनाती.—(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, अवकाश पर या सार्वजनिक सेवा की आकस्मिता के कारण ड्यूटी पद ग्रहण करने के लिए उपलब्ध न हो, संवर्ग नियंत्रण अधिकारी द्वारा सरकार की सेवा में समुचित ग्रेड के किसी ड्यूटी पद पर तैनात किया जा सकता है।

(2) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी सेवा के कर्मचारियों को समय-समय पर सेवा के अंतर्गत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर सकते हैं।

(3) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी मुख्य सचिव के अनुमोदन से समय-समय पर सरकार के विभिन्न कार्यालयों में जितना आवश्यक हो उतनी संख्या में ड्यूटी पदों का आबंटन कर सकता है।

12. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा–

(क) जिसने किसी ऐसे अन्य महिला/पुरुष से विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी या पति है, या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो।

उपबंध है कि यदि उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

13. सेवा की अन्य शर्तें.—ऐसे मामले में जहाँ सेवा के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तों के विषय में इस नियमावली में कोई विशेष प्रावधान नहीं बनाया गया है तो वह उसी रूप में होगी जो केन्द्र सरकार में समान पद के कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू होती है।

14. शिथिल करने का अधिकार.—जहाँ उपराज्यपाल का मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगा।

15. अपवाद.—इन नियमों के किसी भी प्रावधान का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. व्याख्या.—यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो आयोग के परामर्श से उपराज्यपाल द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, इस पर निर्णय लिया जायेगा।

17. निरस्तीकरण.—(1) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या फा. 2(3)/98/से.-3/3107 द्वारा अधिसूचित वरिष्ठ निजी सहायक (सीनियर पीए), दिनांक 21 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या फा. 2(23)/86/से.-2/द्वारा अधिसूचित आशुलिपिक ग्रेड-II तथा दिनांक 1 फरवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या फा. 10(8)/67/से.(सी) में क्रम संख्या 4 पर अधिसूचना आशुलिपिक ग्रेड-III के विद्यमान भर्ती नियमों को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरस्तीकरण के होते हुए भी, उपरोक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत किए गए किसी कार्य या कार्यवाही को इस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी कार्यवाही माना जायेगा।

144/CL

अनुसूची-I

[नियम 4 (1) देखें)]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आशुलिपिक सेवा का विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकरण, वेतनमान तथा ड्यूटी पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी :—

भाग क सेवा के ग्रेड तथा स्वीकृत पदों की संख्या

(अ)	सेवा का ग्रेड	वेतनमान
1.	वरिष्ठ निजी सहायक (सीनियर पी. ए.) समूह "ख" राजपत्रित, अलिपिकीय	रुपये 6500-200-10500 (प्रारम्भिक नियुक्ति पर) रुपये 8000-275-13500 (चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद विजीलेंस एवं निष्ठा प्रमाण-प्रत्र की शर्त पर)
2.	आशुलिपिक ग्रेड-II समूह "ख"अराजपत्रित, अलिपिकीय	रुपये 5500-175-9000
3.	आशुलिपिक ग्रेड-III समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय	रुपये 4000-100-6000

(ब) स्वीकृत पद		
1.	वरिष्ठ निजी सहायक (सीनियर पी.ए.)	233
2.	आशुलिपिक ग्रेड- II	464
3.	आशुलिपिक ग्रेड- III	464
4.	लीव तथा ट्रेनिंग रिजर्व	232
	कुल	1393

(स) रिजर्व		
1.	लीव रिजर्व 1161 का 10%	116
2.	ट्रेनिंग रिजर्व 1161 का 10%	116
	कुल	232

भाग-ख विभिन्न ग्रेडों में पदों की संख्या

क्र.सं.	पदों का नाम	पदों की सं.
(अ)	वरिष्ठ निजी सहायक के अन्तर्गत पद	233
(ब)	आशुलिपिक ग्रेड-II के अन्तर्गत पद	464
(स)	आशुलिपिक ग्रेड-III के अन्तर्गत पद	464
1	भाग ख के (अ), (ब) तथा (स) का जोड़	1161
2	लीव और ट्रेनिंग रिजर्व	232
	कुल जोड़	1393

2508 DA/08-2

अनुसूची-II

(नियम 7 देखें)

क्र. सं.	ग्रेड	भर्ती पद्धति	योग्यता
1.	आशुलिपिक ग्रेड-III (रुपये 4000-100-6000)	100% सीधी भर्ती द्वारा टीपः पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक या अधिक वर्षों तक रहने वाली रिक्तियाँ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी तथा सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती हैं । (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	अनिवार्य :- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं पास या उसके समकक्ष (ii) अंग्रेजी आशुलिपि में 80 श.प्र.मि. और अंग्रेजी टंकण में 40 श.प्र.मि. की गति या हिन्दी आशुलिपि में 80 श.प्र.मि. और हिन्दी टंकण में 35 श.प्र.मि. की गति वांछनीय :- कम्प्यूटर संचालन का बुनियादी ज्ञान आयु सीमा :- 18-27 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/सरकारी कर्मचारी आदि के लिये केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय) टीपः—आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों को आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पाँगी सब-डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।
2	आशुलिपिक ग्रेड-II (रुपये 5500-175-9000)	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	आशुलिपिक ग्रेड-III में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी जिनकी न्यूनतम नियमित सेवा पांच वर्ष की है पदोन्नति के लिये विचार हेतु योग्य होगा प्रतिनियुक्ति :— केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में समरूप पदधारी तथा निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अधिकारी :- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष 2. आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 श.प्र.मि. तथा अंग्रेजी/हिन्दी टाइपिंग में 40 श.प्र.मि. की गति

1	2	3	4
			फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के योग्य नहीं होंगे । इसी तरह प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति, द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के योग्य नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
3.	वरिष्ठ निजी सहायक (सीनियर पी.ए.) रुपये 6500-200-10500 (प्रारम्भिक नियुक्ति पर) रुपये 8000-275-13500 (चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर निष्ठा तथा विजीलेंस क्लीरेंस की शर्त पर)	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	नियमित रूप से नियुक्त आशुलिपिक ग्रेड-II अधिकारी जिनकी न्यूनतम नियमित सेवा 8 वर्ष की होगी, पदोन्नति के लिये विचार हेतु योग्य होगा । प्रतिनियुक्ति :— केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों में समरूप पदधारी तथा निम्नलिखित योग्यता रखने वाले अधिकारी :- 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष 2. आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 श.प्र.मि. तथा अंग्रेजी/हिन्दी टाइपिंग में 40 श.प्र.मि. की गति । (फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के योग्य नहीं होंगे) । इसी तरह प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के योग्य नहीं होंगे) । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टीप 1 :—आशुलिपिक ग्रेड-III पद पर सीधी भर्ती के लिये निश्चित अंतराल पर डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी, जैसा समय-समय पर मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित होगा । इस विषय में परीक्षा की तिथि तथा स्थान का निर्धारण डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा किया जायेगा ।

टीप 2 :—पदोन्नति के लिये किसी अधिकारी की पात्रता के निर्धारण के लिये मान्य तिथि उस वर्ष की 1 जनवरी होगी जिसमें पद रिक्त हुए । समिति, चयन के समय तथा वर्ष के दौरान होने वाली वास्तविक रिक्तियों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर उन पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने नियम 6 के अन्तर्गत उक्त नियम में दिये गये उपबंधों के अनुसार संबंधित ग्रेड में सेवा की हो ।

टीप 3 :—किसी भी प्रत्याशी को आशुलिपिक ग्रेड-III में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उसे उप-राज्यपाल द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच परीक्षा के पश्चात् किसी प्रकार की ऐसी मानसिक या शारीरिक कमी जिससे उसके सेवा के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने की संभावना है, से मुक्त मानते हुये स्वस्थ घोषित नहीं किया जाता बशर्ते कि उसे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच करके स्वस्थ घोषित न किया गया हो।

टीप 4 :—अनुमोदित सूची में किसी प्रत्याशी के नाम को शामिल हो जाने से उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक नियुक्ति अधिकारी यथावश्यक समझी जाने वाली अन्वेषण के पश्चात् संतुष्ट है कि प्रत्याशी आशुलिपिक ग्रेड-III में नियुक्ति के लिये सभी दृष्टि से उपयुक्त है तथा जब तक प्रत्याशी को वास्तविक रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाता। संवर्ग नियंत्रण अधिकारी तैयार सूची को नियुक्ति करने से पहले अनुमोदन के लिये मुख्य सचिव को भेजेगा।

टीप 5 :—इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमोदित सूची में शामिल प्रत्याशी को आशुलिपिक ग्रेड-III में मेधा क्रम से नियुक्त किया जायेगा।

अनुसूची-III
[नियम 7(2) देखें]

क्रम सं.	ग्रेड	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	
1.	आशुलिपिक ग्रेड-II	(क) प्रधान सचिव (गृह)	—अध्यक्ष
		(ख) उप सचिव (सेवाएं)	—सदस्य
		(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबद्ध एक अधिकारी जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना है	—सदस्य
2.	वरिष्ठ निजी सहायक (सीनियर पी.ए.)	(क) विकास आयुक्त	—अध्यक्ष
		(ख) प्रधान सचिव /सचिव (सेवाएं)	—सदस्य
		(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिअनुसूचित जनजाति समुदाय से संबद्ध एक अधिकारी जो ए.डी.एम./उप सचिव के रैंक से कम का न हो लिया जायेगा जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना है	—सदस्य
3.	आशुलिपिक ग्रेड-III	ग्रुप "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (आशुलिपिक ग्रेड-III) के स्थायीकरण के लिये (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारी)	

टीप 1 :—अध्यक्ष का छोड़कर, किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जायेगा यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने, जिसमें समिति का अध्यक्ष भी शामिल है, इन बैठकों में भाग लिया है।

टीप 2 :—यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय पदोन्नति समिति का उप-राज्यपाल द्वारा समय-समय पर पुनर्गठन किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

SERVICES DEPARTMENT (III)

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd July, 2008

No. F. 3(2) /2000/S-III/Pt. File/2331.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules, namely :—

142/C

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called "The Government of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service Rules, 2008".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "appointing authority" in relation to Senior Personal Assistant and Stenographer Grade-II means the Chief Secretary and in relation to Stenographer Grade-III means the Head of Department concerned for the purposes of these rules;

(b) "Board" means the Delhi Subordinate Service Selection Board;

(c) "cadre" means the group of posts of the grades as specified in Schedule-I;

(d) "cadre controlling authority" means the Services Department of the Government;

(e) "cadre officer" in relation to any grade of the Service means a member of the Service of that grade who is appointed under rule 6 and rule 7 of these rules;

(f) "Chief Secretary" means the Chief Secretary to the Government of National Capital Territory of Delhi;

(g) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(h) "departmental promotion committee" means a committee constituted to consider promotion and confirmation in any grade as specified in Schedule-III;

(i) "direct recruitment" means recruitment made through competitive examination held by the Board;

(j) "duty post" means any post specified in Schedule-I and any other temporary or permanent post declared as duty post by the Lt. Governor from time to time;

(k) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;

(l) "grade" means any of the grades specified in rule 3 of these rules;

(m) "Lt. Governor" means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(n) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(o) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clause (24) and clause (25) respectively of article 366 of the Constitution;

(p) "Service" means the Government of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service, constituted under rule 3 of these rules.

3. **Constitution of the Service and its classification.**— (1) On and from the date of commencement of these rules there shall be constituted a Service known as the "Government of National Capital Territory of Delhi Stenographers Service" consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7 of these rules.

(2) The Service shall have three grades as specified in Schedule-I.

(3) The post of Senior Personal Assistant shall be Central Civil Service Group B, Non-Ministerial (Gazetted) posts, the posts of Stenographers Grade-II shall be Central Civil Services Group B, Non-Ministerial (Non-Gazetted) posts and those of Stenographers Grade-III shall be Central Civil Services Group C, Non-Ministerial (Non-Gazetted) posts.

4. **Grades, authorised strength and their review.**— (1) The duty posts included in the three grades, their numbers and the scales of pay attached to them on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-I;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Lt. Governor may, from time to time, make temporary additions or alterations to the duty posts in various grades.

5. **Members of the Service.**— (1) The following persons shall be the members of the Service namely :—

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

2508 D9/08-3

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule -I from the date of such appointment.

(4) Members of the Service shall, in the normal course, be eligible for appointment to various grades of the Service to which they belong and not to the other Service.

6. **Initial Constitution of the Service.**—(1) All existing officials holding duty posts on regular basis and appointed in a regular manner in accordance with the method of recruitment prior to the constitution of the Service, shall be deemed to be the members of the Service in the respective grades.

(2) The regular continuous service rendered by the officials referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules, shall count for the purpose of probation, qualifying service, promotion, confirmation and pension in the Service.

(3) To the extent the cadre controlling authority is not able to fill up the authorized regular strength of various grades in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7.

7. **Future Maintenance of the Service.**—(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-I, after the initial constitution under rule 6, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

(2) The Method of recruitment as specified in Schedule-II shall be as follows :—

(a) All vacancies in Senior Personal Assistant grade shall be filled by promotion in the order of seniority subject to the recommendation of the departmental promotion committee from amongst eligible officers holding the post of Stenographer Grade-II having eight years regular service in the grade, failing which by deputation from amongst :

Officers of the Central/State Governments/Union Territories, holding analogous posts, and possessing :

(i) Degree from a recognized University or equivalent.

(ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in English/Hindi.

(b) All vacancies in Stenographer Grade-II shall be filled by promotion in the order of seniority subject to the recommendation of the departmental promotion committee from amongst eligible officers holding the post of Stenographer Grade-III having five years regular service in the grade, failing which by deputation from amongst :

Officers of the Central/State Governments/Union Territories, holding analogous posts, and possessing :

(i) Degree from a recognized University or equivalent.

(ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in English/Hindi.

(c) All vacancies in Stenographer Grade-III shall be filled in by direct recruitment on the basis of open competitive examinations to be conducted by the Board or in such a manner as may be specified by the Chief Secretary from time to time.

(d) If any officer appointed to any grade of the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, his senior would also be considered, provided that he is not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and has successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note.—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the qualifying service in the respective grade or post.

8. **Seniority.**—(1) The relative seniority of members of the Service appointed to a grade of the Service, at the time of initial constitution of the Service under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules ;

141/C

Provided that if the seniority of any such member has not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government of India in the matter from time to time.

The following principles shall be followed for fixation of seniority of persons appointed on regular or officiating basis to various grades under rules 6 and 7, namely:—

(a) The seniority of the officers in various grades of the Service shall be determined on the basis of rules, regulations and orders issued in this regard from time to time by the Government of India.

(b) The relative seniority of all direct recruits shall be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment on the recommendations of the Board.

(c) (i) In case of promotees, where promotions are made on the basis of selection by the departmental promotion committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which the departmental promotion committee recommends them for such promotion.

(ii) Where promotions are made on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted.

(d) The *inter-se* seniority of persons appointed on compassionate grounds may be fixed with reference to their date of appointment. Their interpolation with the direct recruits or promotees may also be made with reference to their dates of appointment without distrubing the inter-se seniority of direct recruits or promotees.

(e) The date of joining by a person appointed on compassionate grounds shall be treated as the date of his or her regular appointment.

(f) The seniority of the members of Senior Personal Assistant and Stenographer Grade-II of the Service shall be determined with reference to the date of regular appointment (appointment made in a regular manner in accordance with the method of recruitment prior to the constitution of these Service rules) to the post concerned :

Provided that the existing seniority of the person determined or to be determined as per applicable rules, regulations and orders in different grades shall not be disturbed.

9. Probation.—(1) Every officer on appointment to Stenographer Grade-III of the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years :

Provided that the appointing authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government of India from time to time in this behalf.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, directly recruited officers shall, if considered fit for confirmation in the Service, be confirmed in terms of the orders of the Government of India for the time being in force,

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the appointing aauthority is of the opinion that an officer is not fit for confirmation in the Service, the appointing authority may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be, in consultation with the cadre controlling authority as per rules on this subject.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be requrired by the Lt. Governor or the Chief Secretary, as the case may be, to undergo such courses of training or to pass such examination or test as the appointing authority, in consultation with the cadre controlling authority, may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regads other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the orders or instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

10. Appointment to the Service.—All appointment to the Service shall be made to Senior Personal Assistant or Stenographer Grade-II or Stenographer Grade-III of the Service and not against any specific post included in the Service.

Note.—Members of the Service shall, in the normal course be eligible for appointment to various grades of the Service to which they belong and not to the other Service.

11. Posting.—(1) Every member of the Service, unless he is on leave or otherwise not available for holding a duty post owing to the exigencies of the public service, be posted against a duty post of the appropriate grade in the Service under the Government by the cadre controlling authority.

(2) The cadre controlling authority may transfer the cadre officers form one office to another office within the Service from time to time.

(3) The cadre controlling authority with, the approval of Chief Secretary shall allocate such number of duty posts to various Offices of the Government, as may be deemed necessary from time to time.

12. Disqualification.—No person shall be eligible for appointment to the Service

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:

Provided that the Lt. Governor may, if satified that such marriage is permissible under the personal law applicatble to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Other conditions of Service.—The other conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank in the Central Government.

14. Power to relax.—Where the Lt. Govenor is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any calss or category of persons.

15. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

16. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be dcided by the Lt. Governor in consultation with the Commission, as the case may be.

17. Repeal.—(1) The existing recruitment rules for the post of Senior Personal Assistant (Sr. P. A.) notified *vide* Gazette Notification No. F.2((3)/98/S.III/3107 dated the 17th October, 2000, Stenographer Grade-II notified *vide* Gazette Notification No. F. 2(23)/86/S.II dated the 21st November, 1986 and Stenographer Grade-III notified at serial number 4 *vide* Gazette Notification No. F. 10 (8)/67-S(C) dated the 1st February, 1968, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid notifications, shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these rules.

SCHEDULE-I

[See rule 4 (1)]

Classification, scale of pay and number of duty posts in the different grades of the Government of NCT of Delhi Stenographer Service shall be as under :

Part A	Grades and sanctioned strength of the Service	
(a)	Grades of the Service	Scale of Pay
1.	Senior Personal Assistant (Sr. P. A.) the grade) (Group "B" Gazetted, Non-Ministerial)	Rs.6500-200-10500 (On initial appointment in Rs. 8000-275-13500 (On completion of 4 years of regular service in the grade subject to vigiliance and integrity clearance
2.	Stenographer Grade II (Group "B" Non-Gazetted, Non - Ministerial)	Rs. 5500-175-9000
3.	Stenographer Grade III (Group "C" Non-Gazetted, Non - Ministerial)	Rs. 4000 - 100 -6000

(b)	**Sanctioned strength**	
1	Senior Personal Assistant (Sr. P. A.)	233
2	Stenographer Grade -II	464
3	Stenographer Grade III	464
4	Leave and Training Reserves	232
	Total	1339

(C)	**Reserves**	
1	Leave reserve at 10% of 1161	116
2	Training reserve at 10% of 1161	116
	Total	232

Part B Posts in the various grades

S.No.	Name of posts	No. of posts
(a)	Posts under Senior Personal Assistant	233
(b)	Posts under Stenographer Grade-II	464
(c)	Posts under Stenographer Grade-III	464
(i)	Total of (a), (b) and (c) of Part B	1161
(ii)	Leave and Training Reserves	232
	Grand Total	1393

SCHEDULE-II
[See rule7]

S. No.	Grade	Method of Recruitment	Eligibility
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Stenographer Grade III (Rs. 4000-100-6000)	100% by Direct Recrutment **Note :** The vacancies caused by the incumbent away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central/State Governments/Union Territories holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits. (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	**Essential :** 12th Pass or equivalant under 10+2 system from a recognized Board/University (ii) Speed of 80 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m in typewriting in English; OR 80 w.p.m. in Shorthand and 35 w.p.m. in typewriting in Hindi. **Desirable :** Basic knowledge of Computer operations . **Age limit :** 18—27 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs/Ex-Service man/PH/Govt. servants, etc., in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura. Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Stenographer Grade II (Rs. 5500-175-9000)	100% by Promotion failing which by deputation	A regularly appointed Stenographer Grade III officer with minimum of 5 years of regular service shall be eligible to be considered for promition. **Deputation :** Officers of the Central/State Government/Union Territories, holding analogous posts, and possessing : (i) Degree from a recognized University or equivalent. (ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in English/Hindi. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
3.	Senior Personal Assistant (Sr. P.A.) (Rs. 6500-200-10,500) (on initial appointment) Rs.8000-275-13500 (on completion of 4 years of regular service, subject to vigilance and integrity clearance).	100% by Promotion failing which by deputation	A regularly appointed Stenographer Grade II officer with minimum of 8 years of regular service in the grade shall be eligible to be considered for promotion. **Deputation :** Officers of the Central/State Government/Union Territories, holding analogous posts, and possessing : (i) Degree from a recognized University or equivalent. (ii) Speed of 100 w.p.m. in shorthand (English/Hindi) and 40 w.p.m. in typewriting in nglish/Hindi. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the

139/C

		(4)
		same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note I.—An open competitive examination for direct recruitment to the post of Stenographer Grade III shall be conducted by the DSSSB at such interval as the Chief Secretary may, determine from time to time. The dates on which and the places at which the examination is to be held shall be fixed by DSSSB in this regard.

Note II.—The crucial date for determining the eligibility of an officer for promotion shall be the 1st January of the year in which the vacancy has occurred. The Committee shall consider from time to time the cases of officers eligible under rule 6 who have served in the respective grade in accordance with the provisions contained therein after taking into account the actual vacancies at the time of selection and those likely to occur during the year.

Note III.—No candidate shall be appointed to the Stenographer Gade-III unless he/she is declared fit after such medical examination as the Lt. Governor may prescribe and to be free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the Service, unless he/she has already been examined by the competent medical authority at the time of his/her initial appointment and declared fit.

Note IV.—The inclusion of a candidate's name in the approved list(s) shall confer no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such inquiry, as he may consider necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Stenographer Grade-III and an actual offer of appointment is made to the candidate. The cadre controlling authority shall forward the list so prepared to the Chief Secretary for approval before making appointment.

Note V.—Subject to the provisions of these rules, the candidates included in the approved list(s) shall be appointed to the Stenographer Grade-III in the order of merit.

SCHEDULE - III
[See rule 7 (2)]

S. No.	Grade	Composition of the Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	
1	2	3	
1.	Stenographer Grade-II	(a) Principal Secretary (Home)	— Chariman
		(b) Deputy Secretary (Services)	—Member
		(c) An officer belonging to SC/ST community in Government of NCT of Delhi in cases where SC/ST candidates are considered	—Member
2.	Senior Personal Assistant (Senior P.A.)	(a) Development Commissioner	—Chariman
		(b) Secretary (Services)	—Member
		(c) An officer belonging to SC/ST community not below the rank of ADM/Deputy Secretary in Government of NCT of Delhi in cases where SC/ST candidates are considered	—Member
3.	Stenographer	Group 'C' DPC (For considering confirmation of Stenographer Grade III (direct recruits).	

Note I.— The absence of a member, other than the Chairman, shall not invalidate the procedings of the Departmental Promotion Committee if more than half the members, including the Chairman of the Committee, had attended its meeting(s).

Note II.—The Departmental Promotion Committee may be re-constituted by the Lt. Governor from time to time if need be.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,.

S.K. SRIVASTAVA, Pr. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11005